

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 का उपनियम 83(8) देखिये)

परिवहन कम्पनी का नाम व पता.....

वाहन संख्या.....

वाहन के स्वामी का नाम व पता.....

वाहन के ड्राइवर का नाम व पता.....

क्रमसंख्या सी.आर. संख्या	नाम और पूरा पता पारेषक का	स्थान से पारेषिती का	स्थान को	माल का विवरण		
1	2	3-क	3-ख	4	5	6
<hr/>						

माल का भार / मात्रा / संख्या का	माल का मूल्य	यदि माल उत्तर प्रदेश में किसी स्थान को भेजा जाता है, आयात-अनुज्ञा-पत्र की संख्यां
7	8	9

यदि माल को राज्य से बाहर परिवहन किया जाता है

निकास जांच चौकी का नाम दिनांक जब तक परिवहन निकास चौकी को पार करें

10 (क) 10(ख)

मैं, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त दी गई सूचना सत्य है।

स्थान..... हस्ताक्षर.....

दिनांक..... (पूरा नाम).....

प्रासिति.....

प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी द्वारा भरा जाएगा निकास चौकी के प्रभारी द्वारा भरा जाएगा

आर-3 की क्रम संख्यादिनांक जब तक वाहन निकास चौकी को पार करे आर-4 की क्रम संख्या प्रवेश जांच चौकी प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर दिनांक.....	वाहन द्वारा निकास चौकी पार करने की वास्तविक तिथि चौकी के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर दिनांक.....
--	---